दिनांक 29.07.2017

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

भिलाईनगर/ आयुक्त के0 एल0 चौहान के निर्देश पर निगम क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक पर किये गये कार्यवाही के बाद निगम ने 8 दुकानो के विरूद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के अधिन दुर्ग न्यायालय में परिवाद निगम के अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है । निगम ने सम्पूर्ण क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए यह कार्यवाही किया जा रहा है जिसमें सभी का सहयोग आवश्यक है। नगर निगम द्वारा लगतार समझाई के बावजुद तथा छामापार कार्यवाही तथा जुर्मना लगाने के बाद भी जिन प्रतिष्ठानो में अकास्मिक जांच में प्रतिबंधित प्लास्टिक भण्डार तथा विक्रय व उपयोग करते पाये गये संस्थानो के संचालक के0पी0दस्पा भिलाई किराना स्टोर्स, बद्रीप्रसाद इंदौर सेव भण्डार, बबन प्रसाद सांई दोसा सेन्टर, लक्ष्मी शंकर किराना स्टोर्स, निरंजन साहू छोटू स्वीटस, नरसिंह साहू चाय नास्ता सेन्टर, परदेशी चौक रामनगर, राकेश साव राकेश किराना स्ठोर लक्ष्मी मार्कट के विरूद्ध माननीय मुख्य न्यायालय दण्डाधिकारी दुर्ग स्मिता रत्नावत के कोर्ट में तथा मोहम्मद इस्लाम सिद्धिकी टेडर्स मछली मार्केट कैम्प 2 माननीय न्यायालय मोहन सिंह कोर्राम के समक्ष निगम के अधिवक्ता अभिषेक वैष्णव के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत किया गया है । वही विश्वनाथ साहू एवं आशीष कुमार खुर्सीपार के विरूद्ध सोमावार को प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा ।

निगम द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक के विरूद्ध किये जा रहे कार्यवाही के तीसरे दिन निगम के समस्त 6 जोन में टीम बना कर शनिवार को भी कार्यवाही किया गया और विभिन्न क्षेत्रो के 11 प्रतिष्ठानो पर कैरी बैग्ग की जप्ती की गई है जिसका प्रकरण तैयार कर न्यायालय में प्रस्तु किया जावेगा । आयुक्त के0एल0चौहान ने कहा है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग राज्य शासन द्वारा निषेध किया गया है कैरी बैग्गा का भण्डार विक्रय तथा उपयोग अपराध की श्रेणी में माना गया है नगर के व्यापारी तथा नागरिक इसका उपयोग व विक्रय नही करें और करते पाये जाने पर उनके विरूद्ध नगर पालिक अधिनियम तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तथा कार्यवाही किया जावेगा ।

जांच कार्यवाही में स्वास्थ अशोक पहाडिया जोन आयुक्त संजय शमा, सुनील दुबे, संजय बागडे, आर.के.पदमवार, स्वच्छता निरीक्षक ए0 के0 शर्मा,व्ही के सेमुव्हल,महेश पाण्डेय, घर्मेद्र मिश्रा, जगन्नाथ कुशवाह, अलोक पसिने, शरद दुबे रामायण सिंह, स्वेता महेश्वर अनिल मिश्रा, इन्द्रमणी पटेल,अंजनी सिंह, हामिद खान, सतीश देवांगन, पुनित बंजारे, राजेश गुप्ता, विनोद शुक्ला, बोधन साहू,

जनसम्पर्क अधिकारी